रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 9, 2005/आषाढ़ 18, 1927
No. 305] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 9, 2005/ASADHA 18, 1927

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 463(अ).—जबकि, अधिसूचना समाहित राजपत्र की प्रतियों को जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर एतद्द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) तारीख 20 अप्रैल, 2005, सं. सा.का.नि. 241(अ), के तहत, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33ढ द्वारा यथा अपेक्षित औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप प्रकाशित किया गया था।

और, जबकि, उक्त अधिसूचना 20 अप्रैल, 2005 को जनता को उपलब्ध कराई गई थी।

और, जबकि, उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है। अब, अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 33ढ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 में और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (7वां) संशोधन नियम, 2005 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में,—

   (I) नियम 157 के अधीन, अनुसूची न में, भाग 1 के पैरा 1.1(ढ) के खण्ड (11) के उप-खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

   "(i)(क) विशेषज्ञ, जिसके पास भारतीय चिकित्सा, केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूची II के अधीन मान्यताप्राप्त आयुर्वेद या सिद्ध या यूनानी औषधि में अर्हता डिग्री हो;

   (ख) रसायनज्ञ, जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई कम से कम विज्ञान या भैषजिकी या भैषजिकी (आयुर्वेद) में स्नातक डिग्री हो;

(ग) वनस्पतिज्ञ भेषज अभिज्ञानी किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई विज्ञान (आयुर्विज्ञान) या भैषजिकी या भैषजिकी (आयुर्वेद) में कम से कम स्नातक डिग्री हो;"

(2) भाग II के टिप्पण के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :— "तो वह कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् ऐसा कर सकेगा"।

[फा. सं. के.-11020/5/97-डीसीसी(आयुष)]

शिव बसंत, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र अधिसूचना सं. एफ-28-10/45-एच(i), तारीख 21 दिसम्बर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन सं. सा.का.नि. 174(अ) तारीख 16-3-2005 को किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2005

G.S.R. 463(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules 1945 was published as required by Section 33-N of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) in the Gazette of India, Extraordinary Part II Section 3, Sub-section (i) dated 20th April, 2005 *vide* No. G.S.R. 241(E), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby the expiry of 30 days from the date on which copies of the Official Gazette containing the notification were made available to the public;

And whereas the said Gazette Notification was made available to the public on 20th April, 2005;

And whereas objections and suggestions from the public on the said draft have been considered by the Central Government. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 33-N of the said Act, the Central Government. hereby makes the following further amendments in the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, namely :—

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics 7th (Amendment) Rule, 2005.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Drug and Cosmetics Rule, 1945,—

   (I) Under Rule, 157, in the Schedule T, in part I, in paragraph 1.1(N), for Sub-clause (i) of clause (11).

   the following shall be substituted, namely :—

   "(i)(a) Expert in Ayurveda or Siddha or Unani medicine who possess a degree qualification recognized under Schedule II of Indian Medicine Central Council Act, 1970;

   (b) Chemist, who shall possess at least a Bachelor Degree in Science or Pharmacy or Pharmacy (Ayurveda) awarded by a recognized University; and

   (c) Botanist (Pharmacognosist), who shall possess at least a Bachelor Degree in

   Science (Medical) or Pharmacy or Pharmacy (Ayurveda) awarded by a recognized Univertisy;

   (2) In Part II in the Note, at the end of following shall be added, namely :—"he may do so after recording reasons in writing."

[F. No. K.-11020/5/97-DCC(AYUSH)]

SHIV BASANT, Jt. Secy.

Foot Note :—The principal rules were published in the official Gazette *vide* Notification No. F. 28-10/45-H (I) dated the 21st December, 1945 and last amended *vide* No. G.S.R. 174(E) dated 16-3-2005.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.